न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2025/439
मुकदमा नम्बर 137/2025 दर्ज दिनांक– 12.08.2025

बहादुर सिंह पुत्र कानाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
—अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री आशीष बुगालिया, श्री संदीप सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 36 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ ी सरहद में खाता सं. नया 2 पुराना 321 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1304, 1308, 1313, 1314, 1315, 316, 1593/1307 रकबा क्रमशः 0.2400, 0.7500, 0.2500, 0.4000, 0.3500, 0.3900, 0.1000 हैक्टेयर कुल केता 7 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम भादर पुत्र कानाराम के स्थान पर बहादुर सिंह पुत्र कानाराम दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार कियां जाता है तथा राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ की सरहद में खाता सं. नया 2 पुराना 321 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1304, 1308, 1313, 1314, 1315, 1316, 1593/1307 रकबा क्रमशः 0.2400, 0.7500, 0.2500, 0.4000, 0.3500, 0.3900, 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम भादर पुत्र कानाराम के स्थान पर बहादुर सिंह पुत्र कानाराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू